न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 30 / 2014

सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी, जिला अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

श्रीमति सुनीता पत्नी श्री उमाशंकर वैष्णव निवासी ग्राम मेवदाकलां, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

.....**अप्रार्थिया**

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

———

उपस्थित :– 1. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी वकील अप्रार्थिया की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 13.07.2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 16.01.2013 को ग्राम पंचायत मेवदाकलां में आयोजित प्रशासन गांव के संग कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्रीमति सुनीता पत्नी श्री उमाशंकर वैष्णव निवासी ग्राम मेवदाकलां, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम मानखण्ड स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1652 रकबा 0.69 हैक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थिया के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि मौके पर विवादित भूमि में से मानखण्ड से नयागांव आम रास्ता जा रहा है तथा विवादित भूमि काबिल काश्त नहीं है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थिया के नाम नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थिया जरिये वकील उपस्थित हुई तथा जवाब नोटिस पेश नहीं किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थिया के पक्ष में आवंटित भूमि में से मानखण्ड से नयागांव आम रास्ता जा रहा है तथा विवादित

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

12.7.1

भूमि काबिल काश्त नहीं है। रास्ते की भूमि का किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता है। विवादित भूमि में से आम रास्ता होना बताया है जो राजस्व नक्शे से स्पष्ट है। विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित है। अतः अप्रार्थिया के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि पुनः सिवायचक दर्ज की जावे।

लायक पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में विद्वान वकील अप्रार्थिया का कथन है कि प्रार्थना पत्र में अकिंत समस्त कथन झूठे एवं मनगढन्त है। उनका कथन है कि विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थिया के पक्ष में सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर विधिक प्रक्रिया पश्चात् कमेटी का कोरम पूर्ण होने पर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा किया गया है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.R.T 2006(2) पेज 1171 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने कथन किया कि एक ओर तो सरकार द्वारा समस्त तथ्यों की जांच पश्चात् भूमि आवंटित की गई है, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा आवंटन निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वरवक्त आवंटन कमेटी ने प्रार्थी स्वयं सदस्य के रूप में उपस्थित थे तथा अप्रार्थिया के पक्ष में आवंटन हेतु अपनी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये थे, अब उन्हीं के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र साईक्लोस्टाईल है जिसमें केवल मात्र रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है तथा शपथ पत्र भी तस्दीकशुदा नहीं है जो प्रार्थना पत्र की श्रेणी में परिभाषित नहीं किया जा सकता। वकील अप्रार्थियागण ने आगे कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा किस अधिकारी के आदेश से मौका पर्चा तैयार किया गया है जो स्पष्ट नहीं है तथा मौका निरीक्षण से पूर्व अप्रार्थिया को नोटिस भी नहीं दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, स्पष्ट नहीं है जबकि राजस्व रेकार्ड में भूमि किस्म बारानी 3 काबिलकाश्त दर्ज होना स्पष्ट है जो किसी भी प्रकार से आवंटन नियमों के उल्लघंन की श्रेणी में नहीं आता है। आवंटन नियमों में विशेष प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। भूमि का प्रकार और वर्गीकरण राजस्व रेकार्ड में अंकन के आधार पर ही किया जा सकता है। विवादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बारानी 3 काबिलकाश्त दर्ज है जो कृषि कार्य हेतु उपलब्ध थी किन्तु अब प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत करना कि विवादित भूमि में से मानखण्ड से नयागांव आम रास्ता जा रहा है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि हेतु एक बार मौका रिपोर्ट तलब की जावे तथा इस तथ्य की पुष्टि की जावे कि मौके पर रास्ता है अथवा नहीं। उन्होंने आगे कथन किया कि नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल ऐसे

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

आवंटन को निरस्त करवाया जा सकता है जो छल, कपटपूर्वक, तथ्यों को छिपाकर करवाया गया हो। उन्होंने अब हमारा ध्यान आर.आर.टी. 2007(2) पेज 1433 व आर. आर.टी 2011 पेज 1144 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र में केवल मात्र यह अंकित कर देने से कि विवादित भूमि में से मौके पर रास्ता है, से आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अन्त में उन्होंने कथन किया कि आवंटी एक गरीब काश्तकार महिला है जिन्हें बमुश्किल विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण तहसीलदार केकड़ी को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जावे कि वे पुनः रेकार्ड एवं मौके की स्वयं जांच कर सुनिश्चित करें कि विवादित भूमि में से आम रास्ता जा रहा है तो बाद परीक्षण पुनः नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत करें। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर आवंटी के नाम विवादित भूमि को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि ग्राम मानखण्ड से नयागांव आने जाने हेतु ग्रामवासियान द्वारा रास्ते के उपयोग में जी जा रही है। हालांकि राजस्व रेकार्ड में भूमि किस्म रास्ता नहीं है किन्तू भौतिक रूप से मौके पर रास्ता है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि का किसी भी व्यक्ति को आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थिया के पक्ष में ग्राम मानखण्ड स्थित आराजी खसरा नम्बर 1652 रकबा 0.69 हैक्टर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर पुनः सिवायचक दर्ज करने के आदेश किया जाते है।

आदेश आज दिनांक 13.07.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner